न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश

जिला ग्वालियर

प्र. क्र. निगरानी / अध्यक्ष / /2014 निगरानी R 2521-PBR/14

विनरेवल फादर हीरा मसीहा इण्डियन चर्च ट्रस्टीज चर्च आफ इण्डिया सी0आई0पी0बी0सी डायओसिस ऑफ नागपुर ....प्रार्थी

बनाम

1. सचिव काईस्ट चर्च मुरार ग्वालियर, अलफट कैम्प पुत्र श्री एस कैम्प, निवासी 11 ज्योतिनगर, मुरार
2. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, बल्लभ भवन, मध्यप्रदेश शासन भोपाल
3. श्रीमान कलेक्टर महोदय ग्वालियर .....प्रतिप्रार्थी

श्री जगदीश श्रीवास्तव द्वारा आज दि 11-8-14 को प्रस्तुत

क्लर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

म0प्र0भूराजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत माननीय अपर आयुक्त महोदय संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 153 / 2013–14 अपील में पारित आदेश दिनांकी 28.07.2014 के निर्णय के विरूद्ध निगरानी

श्रीमान जी,

प्रार्थी की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1– यह कि, प्रतिप्रार्थी कमांक–1 ने माननीय कलेक्टर महोदय ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 15 / 2012–13 अ–19 (2) में पारित आदेश दिनांक 28.09.2013 के द्वारा ग्राम पुरानी छावनी में स्थित कृषि भूमि पर प्रार्थी का नामांतरण स्वीकार कर राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम अंकित किये जाने का आदेश पारित किया था उक्त आदेश के विरूद्ध प्रतिप्रार्थी कमांक–1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी जिसमें प्रार्थी ने यह आपत्ति प्रस्तुत की थी कि प्रतिप्रार्थी कमांक–1 का उक्त संपत्ति में कोई हितनिहित नही है और ना ही वह प्रार्थी संस्था के सदस्य है इसलिये उन्हें अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नही है तथा प्रतिप्रार्थी कमांक–1 द्वारा प्रस्तुत की गई अपील समयावधि वाह्य है तथा प्रतिप्रार्थी कमांक–1 द्वारा प्रस्तुत किये गये स्थगन आवेदन पत्र पर भी अपनी आपत्ति प्रस्तुत की थी उक्त प्रकरण सुनवाई हेतु नियत था इसी बीच आवेदक विशप श्रीधर इंगले द्वारा उक्त अपील में पक्षकार बनाये जाने बावत् आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और उक्त आवेदन पत्र पर जबाव एवं बहस हेतु प्रकरण में दिनांक 28.07.2014 श्री इंगले द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर तर्क हेतु नियत की गई । जिसमें प्रार्थी द्वारा यह आपत्ति प्रस्तुत की गई कि श्रीधर इंगले को विशप पद से हटा दिया गया है इसलिये उन्हें पक्षकार नही बनाया जावें इस संबंध में न्यायालय द्वारा श्रीधर इंगले से इस आशय का शपथ–पत्र मांगा गया कि वह वर्तमान में विशप के पद पर है इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें , दिनांक 28.07.2014 को श्रीधर इंगले द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत न करते हुये समय चाहा गया और

श्रीवास्तव 11-8-14

कमशः.....2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग 2521–पीबीआर/14 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13–11–2014	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 28–7–2014 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा उक्त आदेश से कलेक्टर, ग्वालियर के आदेश दिनांक 28–9–2013 का कियान्वयन स्थगित किया गया है और प्रकरण व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र पर जबाब हेतु नियत किया गया है । उक्त कार्यवाही में प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है । अपर आयुक्त द्वारा आवेदक को सुनवाई का अवसर दिया जाकर ही स्थगन आदेश जारी किया गया है । अतः आवेदक के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि उन्हें बिना सुने अपर आयुक्त द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया है । जहां तक उनके इस तर्क का प्रश्न है अपर आयुक्त के समक्ष प्रचलित प्रकरण में अनावेदक कमांक 1 की कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं है । इस संबंध में आवेदक अपर आयुक्त के समक्ष उक्त बिन्दु को प्रस्तुत कर सकते है । इस प्रकार यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	Not 18